(दिनांक 09/02/23 ...) /h

09/02/23 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रा. पत्र धारा 151/ O41 R5 का जवाब पेश किया गया जिसकी नकल दिलाई जाकर उसे शामिल किया गया। बहस पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली, पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज व न्याय के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन कर बहस पर मनन किया गया। इस संदर्भ मे न्यायालय का यह मत है कि प्रा. पत्र का निर्णय उसके द्वारा सुनवाई का पूर्ण अवसर व समय प्रदान कर, गुणावगुण पर किया गया है। प्रार्थीगण की आवश्यकता आत्यंतिक है। अपने द्वारा निर्णित प्रा. पत्र के निष्पादन को रोके जाने हेतु O41 R5(2) अनुसार पर्याप्त हेतुक दर्शित कर न्यायालय को संतुष्ट किया जाना था परंतु प्रा. पत्र प्रस्तुतकर्ता ऐसा कर पाने मे असफल रहे है। न्यायालय का O41 R5(3) CPC मे वर्णित तीनो स्थितियो पर समाधान नही हो पाया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता सक्षम न्यायालय मे अपील करने हेतु स्वतंत्र है। अतः प्रा. पत्र अंतरगत धारा 151/ O41 R5 CPC को साबित ना होने के आधार पर खारिज किया जाता है। यह निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। /h

उपखण्ड अधिकारी ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2023.09.26 12:02:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner